



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/310

तारीख: 17 जुलाई 2026

को

Plexconcil के सभी सदस्य / COA सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: इंडिया-यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (इंडिया-UK CETA) के तहत ओरिजिन डिक्लेरेशन के सेल्फ-सर्टिफिकेशन को लागू करना

संदर्भ: सर्कुलर नंबर 33/2026-कस्टम्स, दिनांक 13 जुलाई 2026

भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) 15 जुलाई 2026 को लागू होगा। सीमा शुल्क नियम, 2026 (अधिसूचना संख्या 62/2026-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 03.07.2026) समझौते के तहत व्यापार किए जाने वाले सामानों को मूल स्थिति निर्धारित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।

एग्रीमेंट के रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रोविज़न, यूनाइटेड किंगडम के एक्सपोर्टर्स या प्रोड्यूसर्स द्वारा इंडिया में इंपोर्टर्स पर प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट क्लेम करने के लिए ओरिजिन को खुद घोषणा करने का एक सिस्टम शुरू करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- **सेल्फ-डिक्लेरेशन सिस्टम:** UK एक्सपोर्टर्स/प्रोड्यूसर्स सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बजाय ओरिजिन डिक्लेरेशन (Annexure-B फॉर्मेट) जारी करते हैं।
- **प्रमाणीकरण प्रक्रिया:**
 - घोषणाएँ CBIC के नोडल ईमेल cbic.customs.indiaukceta@CBICIndia.onmicrosoft.com और भारतीय इंपोर्टर को उसके ICEGATE-रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजी गईं।
 - CBIC ऑथेंटिकेशन के बाद एक **यूनिक रेफरेंस नंबर (URN) जेनरेट करता है।**
 - इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री में URN बताकर प्रेफरेंशियल टैरिफ का दावा करता है।
- **इंपोर्टर ड्यूटी:** डिक्लेरेशन और URN पाने के लिए UK एक्सपोर्टर्स के साथ ICEGATE ईमेल शेयर करें और अपडेट करें।
- **वैलिडिटी:** ओरिजिन डिक्लेरेशन **12 महीने** के लिए वैलिड है ; सिंगल शिपमेंट पर लागू होता है।
- **टांज़िशनल ट्रीटमेंट:** प्रेफरेंशियल टैरिफ उन सामानों पर लागू होता है जो 15 जुलाई 2026 को/उसके बाद कस्टम कंट्रोल में आते हैं या उनके पास होते हैं। उस तारीख से पहले वेयरहाउस में रखे सामान के लिए, लागू होने के बाद पूरे किए गए ऑथेंटिकेटेड डिक्लेरेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **टेड एडवाइजरी:** टेड के लिए एक डिटेल्ड एडवाइजरी, जिसमें ओरिजिन डिक्लेरेशन जमा करने और ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस, URN बनाना और इस्तेमाल करना, वेयरहाउस में रखे सामान का ट्रीटमेंट और कुछ खास केस बताए गए हैं, अलग से जारी की जा रही है और इसे ICEGATE पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यहां ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202607170407_01.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परावे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकौन्सिल